



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2007/माघ 23, 1928

No. 40]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2007/MAGHA 23, 1928

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2007

सं. विधि 42(3)/87.—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145 (अ) दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खण्ड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 एतद्वारा (क) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गये कार्य करने हेतु “पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं” के रूप में और (ख) तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गये वायु, जल, मृदा एवं अन्य पदार्थों के स्तंभ (4) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है।

दिनांक 1 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या विधि/42(3)/87, की क्रम संख्या 120 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को नामतः जोड़ा जाएगा :

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	मान्यता हेतु पैरामीटर समूह
1	2	3	4
121.	अनुसंधान एवं विकास विभाग, हिन्दुस्तान कॉपर लि., खेतरी कॉपर काम्पलेक्स, खेतरी नगर, झुन्डुनू राजस्थान-333504	1. श्री चन्द्रपाल सिंह, प्रबंधक (अनुसंधान एवं विकास) 2. श्री रामानन्द, प्रबंधक (अनुसंधान एवं विकास) 3. श्री जगनराम गुरावा, उप-प्रबंधक (अनुसंधान एवं विकास)	भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञानिक और परिवेशी वायु, स्रोत उत्सर्जन के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर तथा सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक पैरामीटर
122.	दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रयोगशाला, चतुर्थ तल,	1. डा. एम. पी. जॉर्ज, वरिष्ठ वैज्ञानिक	भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञानिक, विष विज्ञानिक और परिवेशी वायु, स्रोत उत्सर्जन, शोर

1	2	3	4
	आई. एस. बी. टी. भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006	2. डॉ. (श्रीमती) नंदिता मोइत्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक	के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर तथा सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक पैरामीटर
123.	पर्यावरणीय प्रयोगशाला, प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इं. लि., सी. आई. एफ. टी. भवन, पो. ओ. सिन्दरी-828122, धनबाद, झारखंड	1. श्री आनन्दी प्रसाद सिंह, अधीक्षक 2. श्री अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य अभियंता 3. श्री भार्गव चौधुरी, सहायक अधीक्षक	भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञानिक और परिवेशी वायु, स्रोत उत्सर्जन के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर तथा सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक पैरामीटर

इस प्रकार उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशालाएँ तथा सरकारी विश्लेषक अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगे।

जे. एम. माऊसकर, अध्यक्ष

[विज्ञापन—III/IV/असा./184/06]

पाद टिप्पणी :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 728(अ), दिनांक 21 जुलाई, 1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात् उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किये गये :

(1) का.आ. 838(अ), दिनांक 23-09-1987, (2) का.आ. 989(अ), दिनांक 17-11-87, (3) का.आ. 489(अ), दिनांक 17-05-1988, (4) का.आ. 156(अ), दिनांक 24-02-1989, (5) का.आ. 846(अ), दिनांक 24-10-89, (6) का.आ. 375(अ), दिनांक 26-04-1990, (7) का.आ. 803(अ), दिनांक 23-09-1992, (8) का.आ. 97(अ), दिनांक 05-12-1994, (9) का.आ. 418(अ), दिनांक 31-03-1996, (10) का.आ. 889(अ), दिनांक 31-08-1996, (11) का.आ. 452(अ), दिनांक 31-05-1997, (12) का.आ. 631(अ), दिनांक 31-05-1998, (13) का.आ. 336(अ), दिनांक 01-01-1999, (14) का.आ. 44(अ), दिनांक 15-01-2001, (15) का.आ. 490(अ), दिनांक 01-06-2001 और (16) का.आ. 532(अ), दिनांक 01-01-2002, (17) का.आ. 1168(अ), दिनांक 01-06-2002, (18) का.आ. 888(अ), दिनांक 01-06-2003, (19) विधि/42(3)/87, दिनांक 01-06-2004, (20) विधि/42(3)/87, दिनांक 01-03-2005, (21) विधि/42(3)/87, दिनांक 01-09-2005, (22) विधि/42(3)/87, दिनांक 15-12-2005, (23) विधि/42(3)/87, दिनांक 01-05-2006 और (24) विधि/42(3)/87 दिनांक 01-09-2006।

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2007

No. Legal 42(3)/87.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 read with clause 1 of the Notification No. 145(E), dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032 hereby recognizes, (a) the laboratories specified in column (2) of the Table below as 'Environmental Laboratories' to carry out the functions entrusted to the environmental laboratories under the said Act, and the rules made thereunder, and (b) specified persons in column (3) of the Table as the Government Analysts for the purposes of analysis of samples of air, water, soil or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4).

After Sl. No. 120 of the Notification No. Legal/42(3)/87, dated 1st September, 2006 and the entries relating thereto, the following Serial Nos. and entries shall be added namely:—

S.No.	Name of Laboratory	Name of the Govt. analysts	Recognized for parameter groups
1	2	3	4
121.	Research & Development Department, Hindustan Copper Ltd., Khetri Copper Complex, Khetri Nagar, Jhunjhunu, Rajasthan-333504	1. Shri Chandra Pal Singh, Manager (R&D) 2. Shri Ramanand, Manager (R&D) 3. Shri Jagana Ram Gurawa, Deputy Manager (R&D)	Physical, Chemical, Microbiological and Air Pollution parameters for analysis of ambient air, source emission, and micro- meteorological parameters

1	2	3	4
122.	Laboratory of Delhi Pollution Control Committee, 4th Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi-110006	1. Dr. M. P. George, Senior Scientist 2. Dr. (Mrs.) Nandita Moitra Senior Scientist	Physical, Chemical, Microbiological Toxicological and Air Pollution Para- meters for analysis of ambient air, source emission, Noise and Micro- Meteorological Parameters
123.	Environmental Laboratory, Project & Development India Ltd., CIFIT Building, P.O. Sindri 828122, Dhanbad, Jharkhand	1. Shri Anandi Prasad Singh Superintendent 2. Shri Ajay Kumar Singh, Additional Chief Engineer 3. Shri Bhargab Chowduary Assistant Superintendent	Physical, Chemical, Microbiological, Air Pollution parameters for analysis of ambient air, source emission, and Micro-Meteorological parameters

The Environmental Laboratories and the Government Analysts so mentioned shall remain valid for a period of five years from the date of issue of Notification.

J. M. MAUSKAR, Chairman

[ADVT—III/IV/Exty./184/06]

Foot Note:— The Principal Notification was published in the Gazette of India *vide* No. S.O. 728(E), dated 21st July, 1987 and subsequently amended *vide*—

(1) S.O. 838(E), dated 23-9-87, (2) S.O. 989(E), dated 17-11-1987, (3) S.O. 489(E), dated 17-5-1988, (4) S.O. 156(E), dated 24-2-1989, (5) S.O. 846(E), dated 24-10-1989, (6) S.O. 375(E), dated 26-4-1990, (7) S.O. 803(E), dated 23-9-1992, (8) S.O. 97(E), dated 5-12-1994, (9) S.O. 418(E), dated 31-3-1996, (10) S.O. 889(E), dated 31-8-1996, (11) S.O. 452(E), dated 31-5-1997, (12) S.O. 631(E), dated 31-5-1998, (13) S.O. 336(E), dated 1-1-1999, (14) S.O. 44(E), dated 15-1-2001, (15) S.O. 490(E), dated 1-6-2001, (16) S.O. 532(E), dated 1-1-2002, (17) S.O. 1168(E), dated 1-6-2002, (18) S.O. 888(E), dated 1-6-2003, (19) Legal/42(3)/87, dated 1-6-2004, (20) Legal/42(3)/87, dated 1-3-2005, (21) Legal 42(3)/87, dated 1-9-2005, (22) Legal 42(3)/87, dated 15-12-2005, (23) Legal 42(3)/87, dated 1-5-2006 and Legal 42(3)/87, dated 1-9-2006.